न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

प्रकरण संख्या/अभ्यावेदन/99/2019 निर्णय दिनांक :—19.09.2019

आदेश

प्रार्थी श्री कान्हाराम पुत्र सुरजाराम मीणा निवासी नंगली तहसील उदयपुरवाटी ने जरिये अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 9394/2019 उनवानी कान्हाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 की पालना करवाने बाबत दिनांक 14.06.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ग्राम खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के खसरा नम्बर 1135, 1136, 1137, 1144 में हरे पेड़ काटकर भूमि को नष्ट किये जाने के विरूद्ध तथा कलेम हेतु प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन तहसीलदार उदयपुरवाटी तथा नायब तहसीलदार गुढागौड़जी के विरूद्ध दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है।

Upon hearing the learned counsel for the petitioner and considering the singular factual matrix so also in view of the interim order made by the jurisdictional court and representation addressed by the petitioner; the District Magistrate, Jhunjhunu, Rajasthan, is directed to look into the matter personally and determine the claim of the petitioner as expeditiously as possible; preferably, within two months from the date a certified copy of this order is presented. determination arrived at be supplied with reason and a copy there of be furnished to the petitioner.

अभ्यावेदन व निर्णय दिनांक 27.05.2019 में वर्णित काटे गये हरे पेड़ो की बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी तथा नायब तहसीलदार गुढागौड़जी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने पत्रांक पाठक/19/412 दिनांक 29.07.2019 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार ग्राम ग्राम खटकड़ के भूमि खसरा नम्बर 1135, 1136, 1137 पर मौके पर किसी प्रकार के पेड़ नहीं काटे गये है।

उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन पर प्रार्थी वकील ने अपनी आपत्ति व्यक्त की तथा दिनांक 13.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जांच अन्य सक्षम अधिकारी से करवाई जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन पर न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से प्रकरण में पुनः जाचं कर जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपने पत्रांक पी.ए./2019/1060 दिनांक 07.09.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम खटकड़ के खसरा नम्बर 1135, 1136, 1137 में बिलायती बबूल के अलावा कोई पेड़ काटा हुआ नहीं पाया गया। मौके पर कुछ बिलायती बबूल के हरे व सूखे पेड़ एवं उनकी टहनिया काट कर खेत के चारो

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

तरफ बनी मेडबंदी पर डाली हुई मिली। बिलायती बबूल के अलावा किसी प्रकार के हरे पेड़ काटने के मौके पर निशानाथ नहीं मिले।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को निराधार व गलत बताया तथा कथन किया कि उक्त विवादित भूमि खण्ड पर हरे पेड़ काटे गये है जांच नियमानुसार नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन स्वीकार फरमाया जावें।

हमने बहस वकील प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी व तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी की जांच रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि ग्राम खटकड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1135, 1136, 1137 में कुछ बिलायती बबूल के हरे तथा सूखे पेड़ एवं उनकी टहनिया काट कर खेत के चारों तर मेडबन्दी पर डाली गई है। उक्त रिपोर्ट अनुसार बबूल के पेड़ काटे गये, बबूल के पेड़ फसलों को नुकसान पहुंचाते है और बबूल के पेड़ो को काटना प्रतिबन्धित नहीं है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी व तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर,झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू